

## ज़मानती बॉण्ड

### प्रलिस के लयः

ज़मानती बॉण्ड, प्रदर्शन बॉण्ड, अग्रमि भुगतान बॉण्ड, बोली बॉण्ड

### मेन्स के लयः

ज़मानती बॉण्ड और बुनयिदी ढाँचे के वकिस को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका ।


## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने [भारतीय बीमा नयामक और वकिस प्राधकिरण](#) (IRDAI) को सामान्य बीमाकर्ताओं के परामर्श से ज़मानती बॉण्ड पर एक मॉडल उत्पाद वकिसति करने के लयि कहा है ।

- कई चुनौतीपूर्ण मुद्दों ने बीमाकर्ताओं के साथ ज़मानती बॉण्ड को पूरी तरह से गैर-स्टार्टर बना दिया है और IRDAI को प्रस्तावति कयि गया है कि इसे एक मॉडल उत्पाद तैयार करना चाहयि ।
- भारतीय अनुबंध अधनियम के साथ-साथ [दविला और दविलयिपन संहति \(IBC\)](#) में परविरतन के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला गया ताकि डिफाल्ट के मामले में उनके लयि उपलब्ध सबूतों के संदर्भ में ज़मानती बॉण्ड बैंक गारंटी के समान स्तर पर हों, इस पर भी वचिर कयि जा रहा है ।

## ज़मानती बॉण्ड:

- **परचयः**
  - कसिी अधनियम के अनुपालन, भुगतान या प्रदर्शन की गारंटी के लयि एक लखिति समझौते के रूप में एक ज़मानती बॉण्ड को अपने सरल रूप में परभाषति कयि जा सकता है ।
  - यह एक अदवतियक प्रकार का बीमा है क्योंकि इसमें तीन-पक्षीय समझौता शामिल है । एक ज़मानत समझौते में तीन पक्ष होते हैं:
    - **मुख्य पक्ष-** वह पक्ष जो बॉण्ड खरीदता है और वादे के अनुसार कार्य करने का दायतिव लेता है ।
    - **ज़मानत पक्ष-** दायतिव की गारंटी देने वाली बीमा कंपनी या ज़मानत कंपनी का प्रदर्शन कयि जाएगा । यदि मुख्य पक्ष वादे के अनुसार कार्य करने में वफिल रहता है, तो ज़मानत पक्ष नरितर नुकसान के लयि संवदिात्मक रूप से उत्तरदायी है ।
  - **ओब्लगिी-** जसि पार्टी की आवश्यकता होती है वह प्रायः ज़मानती बॉण्ड से लाभ प्राप्त करता है । अधकिंश ज़मानती बॉण्ड के लयि 'ओब्लगिी' एक स्थानीय, राज्य या संघीय सरकारी संगठन होता है ।
  - बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदार की ओर से उस संस्था को ज़मानती बॉण्ड प्रदान कयि जाता है जो परयोजना शुरू कर रही है ।
- **उद्देशयः**
  - ज़मानती बॉण्ड मुख्य रूप से बुनयिदी ढाँचे के वकिस से संबंधति है, यह आपूर्तकिर्त्ताओं और कार्य-ठेकेदारों के लयि अप्रत्यक्ष लागत को कम करने हेतु उनके वकिल्पो में वविधिता लाने व बैंक गारंटी के वकिल्प के रूप में कार्य करता है ।
- **लाभः**
  - ज़मानती बॉण्ड लाभार्थी को उन कृत्यों या घटनाओं से बचाता है जो मुख्य पक्ष को अंतरनहिति दायतिवों से वंचति करते हैं ।
  - वे नरिमाण या सेवा अनुबंधों से लेकर लाइसेंसगि और वाणज्यिक उपक्रमों तक वभिन्न दायतिवों के प्रदर्शन की गारंटी देते हैं ।



## ज़मानती बॉण्ड से संबंधित मुद्दे:

- एक नई अवधारणा के रूप में ज़मानती बॉण्ड काफी जोखिम भरा हो सकता है और भारत में बीमा कंपनियों को अभी तक ऐसे व्यवसाय में जोखिम मूल्यांकन में विशेषज्ञता हासिल नहीं हुई है।
- इसके अलावा मूल्य निर्धारण, डफॉल्टिंग ठेकेदारों के वरिद्ध उपलब्ध सहायता और पुनर्बीमा वकिलों पर कोई स्पष्टता नहीं है।
  - ये काफी महत्वपूर्ण विषय हैं और ज़मानत से संबंधित विशेषज्ञता एवं क्षमताओं के निर्माण में बाधा डाल सकते हैं तथा अंततः बीमाकर्ताओं को इस व्यवसाय में प्रवेश करने से रोक सकते हैं।

## अवसंरचना परियोजनाओं को किस प्रकार बढ़ावा देगा?

- ज़मानती अनुबंधों के लिये नियम बनाने के कदम से बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र को अधिक तरलता और वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- यह बड़े, मध्यम एवं छोटे ठेकेदारों के लिये समान अवसर प्रदान करेगा।
- ज़मानती बीमा व्यवसाय, निर्माण परियोजनाओं के लिये बैंक गारंटी के विकल्प को विकसित करने में सहायता करेगा।
  - यह कार्यशील पूंजी के कुशल उपयोग को सक्षम करेगा और निर्माण कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली संपार्श्विक की आवश्यकता को कम करेगा।
- जोखिम संबंधी जानकारी साझा करने हेतु बीमाकर्ता वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेंगे।
  - इसलिये यह जोखिम पहलुओं पर समझौता किये बिना बुनियादी अवसंरचना के क्षेत्र में तरलता लाने में सहायता करेगा।

## ज़मानती बॉण्ड पर IRDAI दिशा-निर्देश

- नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीमा कंपनियों अब बहुप्रतीक्षित ज़मानती बॉण्ड लॉन्च कर सकती हैं।
- IRDAI ने कहा है कि एक वित्तीय वर्ष में सभी निश्चित बीमा पॉलिसियों के लिये लिया गया प्रीमियम, उन नीतियों हेतु बाद के वर्षों में सभी कश्तों सहित उस वर्ष के कुल सकल लिखित प्रीमियम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिये, जो कि अधिकतम 500 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन है।
- **भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण** (IRDAI) के अनुसार, बीमाकर्ता ज़मानती बॉण्ड जारी कर सकते हैं, जो सार्वजनिक संस्था, डेवलपर्स, उप-अनुबंधकर्ता और आपूर्तिकर्ताओं को आश्वासन देते हैं कि ठेकेदार परियोजना शुरू करते समय अपने संवदात्मक दायित्व को पूरा करेगा।
  - **अनुबंध बॉण्ड** में बोली बॉण्ड, प्रदर्शन बॉण्ड, अग्रिम भुगतान बॉण्ड और प्रतधारण राशि शामिल हो सकती है।
    - **बोली बॉण्ड:** यह एक उपकृत को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है यदि बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेज़ों के अनुसार एक अनुबंध से सम्मानित किया जाता है, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।
    - **प्रदर्शन बॉण्ड:** यह आश्वासन प्रदान करता है कि यदि प्रसिपिल या ठेकेदार अनुबंध को पूरा करने में विफल रहता है तो उपकृत की रक्षा की जाएगी। यदि उपकृतकर्ता प्रसिपिल या ठेकेदार को डफॉल्ट घोषित करता है और अनुबंध को समाप्त कर देता है, तो यह ज़मानत प्रदाता को बॉण्ड के तहत ज़मानत के दायित्वों को पूरा करने के लिये कह सकता है।
    - **अग्रिम भुगतान बॉण्ड:** यदि ठेकेदार वनिरिदेशों के अनुसार, अनुबंध को पूरा करने में या अनुबंध के दायरे का पालन करने में विफल रहता है, तो यह ज़मानत प्रदाता द्वारा अग्रिम भुगतान की बकाया राशि का भुगतान करने का वायदा है।

- **प्रतधारण राशऱः** यह ठेकेदार को देय राशऱऱ का एक हसऱऱसा है, जसऱऱ अनुबंघ के सफल समापन के बाद अंत में बनाए रखा जाता है और देय होता है ।
- गारंटी की सीमा **अनुबंघ मूल्य के 30% से अधकऱऱ नहऱऱ** होनी चाहऱऱऱ ।
- जमानत बीमा अनुबंघ केवल **वशऱऱषऱट परऱऱऱोजनाओं के लऱऱऱे जारी कऱऱऱे जाने चाहऱऱऱे और कऱऱऱे परऱऱऱोजनाओं के लऱऱऱे संयोजतऱऱ नहऱऱऱे** कऱऱऱे जाने चाहऱऱऱे ।

## वगत वरूष के परूशन

पर. कभी-कभी समाचारों में देखे जाने वाले 'आईएफसी मसाला बॉण्ड' के संदर्भ में, नीचे दऱऱऱे गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. अंतरराषऱऱ्टरीय वतऱऱत नगऱऱम, जो इन बॉण्डों की पेशकश करता है, वशऱऱव बैंक की एक शाखा है ।
2. वे रुपए में मूल्यवरूग के बॉण्ड हैं और सार्वजनकऱऱ और नजऱऱी कूषेत्र के लऱऱऱे ःरण वतऱऱतपोषण का एक स्रोत हैं ।

नीचे दऱऱऱे गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजऱऱऱे:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही

उत्तर:(c)

व्याख्या:

- **वशऱऱव बैंक समूह** जो वकऱऱऱसशील देशों के लऱऱऱे वतऱऱतीय और तकनीकी सहायता का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, में पाँच वशऱऱषऱट लेकनऱऱे पूरक संगठन शामिल हैं, अरूथात्,
  - अंतरराषऱऱ्टरीय पुनरून्ऱऱऱमाण और वकऱऱऱस बैंक
  - अंतरराषऱऱ्टरीय वकऱऱऱस संघ (IDA)
  - **अंतरराषऱऱ्टरीय वतऱऱत नगऱऱम (IFC), अतः कथन 1 सही है ।**
  - बहुपकूषीय नवऱऱश गारंटी एजेंसी (MIGA)
  - नवऱऱश ववऱऱदों के नपऱऱटारे के लऱऱऱे अंतरराषऱऱ्टरीय केंद्र (ICSID)
- IFC में सदस्यता केवल वशऱऱव बैंक के सदस्य देशों के लऱऱऱे खुली है । इसके बोरूड की स्थापना 1956 में हुई थी ।
- IFC का स्वामतऱऱत्व 184 सदस्य देशों के पास है, एक समूह जो सामूहकऱऱे रूप से नीतऱऱऱों को नरूधरऱऱतऱऱ करता है । बोरूड ऑफ गवरून्ऱऱस और नदऱऱशक मंडल के माधयम से सदस्य देश IFC के कारूयकरूमें और गतवऱऱधऱऱऱों का मारूगदरूशन करते हैं ।
- मसाला बांड वदऱऱशी बाज़ारों में भारतीय संसूथाओं द्वारा जारी रुपये-नामतऱऱे उधरऱऱे हैं । मसाला का अरूथ है 'मसाले' और इस शबूद का उपयोग अंतरराषऱऱ्टरीय वतऱऱत नगऱऱम (IFC) द्वारा वदऱऱशी प्लेटफारूमों पर भारत की संसूकृतऱऱ और वूयंजनों को लोकपरूयऱऱ बनाने के लऱऱऱे कऱऱऱे गया था ।
- मसाला बांड का उद्देश्य **भारत में बुनऱऱऱऱऱदी ढाँचा परऱऱऱोजनाओं को वतऱऱतपोषतऱऱ करूना**, उधरऱऱे के माधयम से आंतरकऱऱ वकऱऱऱस को बढूवा देना और भारतीय मुद्रा का अंतरराषऱऱ्टरीयकरण करूना है । **अतः कथन 2 सही है ।**

अतः वकऱऱऱऱऱ (c) सही है ।

सूतऱऱे : इंडऱऱऱन एक्सप्रेस